

**SESSION**

**2019-20**



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

Email: - registrarsua@yahoo.co.in Phone: - 07774-222789, Fax: - 07774-222791

क्रमांक: ७३३ / अकादमिक / अ.म. / 2019

अम्बिकापुर, दिनांक १० / 10 / 2019

### अधिसूचना

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 के अंतर्गत संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) में वाणिज्य संकायांतर्गत व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं व्यवसाय प्रबंध विषय के लिए अध्ययन बोर्ड का गठन (संवीक्षाधीन) निम्नानुसार किया जाता है :

28.(2)(एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के आचार्य :  
कोई नहीं।

(दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे:

(1) कोई नहीं

(2) कोई नहीं

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य  
कोई नहीं।

(चार) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हो जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे :

(1) श्री भारत लाल कँवर  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग  
शासकीय महाविद्यालय,  
सिलफिली जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

(2) कोई नहीं

(पांच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे:

(1) श्री सैयद साबिर अली  
सहायक प्राध्यापक वाणिज्य  
होली क्रॉस यूमेन्स कॉलेज,  
अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

(2) डॉ. जसप्रीत कौर  
सहायक प्राध्यापक वाणिज्य  
श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय,  
डिगमा, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

(छ:) एक विद्यार्थी जो परिनियमों में अधिकथित की गई अर्हतायें रखता हो, जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा:

बाद में प्रस्तावित किया जावेगा।



पृष्ठ: 02

ADC

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

(सात) दो सदस्य जो बोर्ड द्वारा सहयोजित किये जायेंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में जिसके लिये बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा संस्थान, यदि कोई हो में से होगा :

बैठक के समय सहयोजित किये जावेंगे।

28.(3) कुलपति जी द्वारा श्री भारत लाल कँवर, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली जिला-सूरजपुर (छ.ग.) को उपधारा (2) के खण्ड (चार) के तहत अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से 03 वर्ष की होगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

अम्बिकापुर, दिनांक 18/10/2019

पृ. क्रमांक: 934/अकादमिक/अ.म./2019  
प्रतिलिपि -

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. समस्त संबंधित सदस्यगण।
3. संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
4. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/महाविद्यालय
5. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण विभाग, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
6. सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, परीक्षा/गोपनीय/वित्त, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
7. जनसम्पर्क अधिकारी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
8. कार्यालयीन नस्ती।



सहायक कुलसचिव (अकादमिक)  
All





### अधिसूचना

संत आर्हेस गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर २०१९ के धारा २६ के अंतर्गत सत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.) में समाज विज्ञान सकायातर्गत अर्थशास्त्र विषय के लिए अध्ययन के लिए को गतन (संगोक्षाधीन) निम्नानुसार किम्बा-जाता है :

२६ (२) (एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के आचार्य कोई नहीं।

(दो) महाविद्यालयों में क महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे

(१) कु रजनी सेठिया  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग  
शासकीय लाहिडी महाविद्यालय,  
चिरमिरी जिला - कोरिया (छ.ग.)

डॉ. (श्रीमती) क्लेसिया टोप्पो  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग  
शासकीय रयामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय,  
सोतापुर जिला - सरगुजा (छ.ग.)

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य कोई नहीं।

(चार) महाविद्यालयों में क महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे

डॉ. प्रेमलता एक्का  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग  
शासकीय महाविद्यालय  
चिरमिरी जिला - सरगुजा (छ.ग.)

कु. रश्मि पाण्डेय  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग  
अरुणा प्रसाद सिंहवाड़ा शासकीय महाविद्यालय,  
हकरगढ़ जिला - बलरामपुर - रामानुजगंज (छ.ग.)





कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,  
नया रायपुर (छ.ग.)

- अधिसूचना :-

रायपुर, दिनांक 11 / 1 / 2018

क्रमांक 1545 / 315 / आजशि / समन्वय / 2018 :: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एक 14-11/2010/सस/यू. रायपुर, दिनांक 03.10.2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन कर अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत प्राणीशास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर</li> <li>2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग</li> <li>3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर</li> <li>4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर</li> <li>5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा</li> </ol>
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर</li> <li>2. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव</li> <li>3. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर</li> <li>4. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर</li> <li>विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दत्तेवाड़ा</li> </ol>
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर</li> <li>2. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव</li> <li>3. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, बरपाली</li> <li>4. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, अम्बिकापुर</li> <li>5. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, धारामा</li> </ol>





अर्थात् 8  
राज्य उत्पन्न होना  
किन्तु पर उत्पन्न होना

:: 02 ::

34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. पारमिता दूबे, सहायक प्राध्यापक, शा. जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर 2. डॉ. मधुलिका राय, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, उतई 3. डॉ.एल.पी.मिरी, सहायक प्राध्यापक शा. जे.पी.वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर 4. श्री अमित सिंह बनाफर, सहायक प्राध्यापक शा.महाविद्यालय सिलफिली 5. डॉ.एच.के.एस. गजेन्द्र, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, किरन्दुल
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

(डॉ.किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक 11/11/2018

पृ.क्रमांक | 546/315/आउशि/समन्वय/2018

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. कुलसचिव, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
4. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग।
5. कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर।
6. कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
7. कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा।
8. समस्त संबंधित विश्वविद्यालय।
9. समस्त संबंधित प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय।
10. समस्त संबंधित अधिकारीगण।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(डॉ.किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

**SESSION**

**2018-19**







(पांच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे

(1) डॉ. जेवियर कुजूर  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग  
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, केशवपुर  
अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (छ.ग.)

(2) डॉ. एस. एन. पाण्डेय  
सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी  
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(छ:) एक विद्यार्थी जो परिनियमों में अधिकशित की गई अर्हतायें रखता हो, जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा:  
बाद में प्रस्तावित किया जावेगा।


(सात) दो सदस्य जो बोर्ड द्वारा सहयोजित किये जायेंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में जिसके लिये बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा संस्थान, यदि कोई हो में से होगा :

वैठक के समय सहयोजित किये जायेंगे।

28.(3) कुलपति जी द्वारा डॉ. राजकमल मिश्र, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) को उपधारा (2) के खण्ड (दो) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से 03 वर्ष की होगी।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 694 / आकादमिक / अ.ग. / अंग्रेजी / 2019  
प्रतिलिपि -

अम्बिकापुर, दिनांक 07/09/2019

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव निज सहायक, संत महिषा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. समस्त संबंधित सदस्यगण।
3. संकायाध्यक्ष, कला संवर्ग, संत महिषा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
4. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/महाविद्यालय
5. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण विभाग, संत महिषा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
6. सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, परीक्षा/गोपनीय/वित्त, संत महिषा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
7. जनसम्पर्क अधिकारी, संत महिषा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
8. कार्यालयीन नस्ती।



सहायक कुलसचिव (आकादमिक)  




अपेक्षित है कि  
उसके द्वारा आ  
उसके द्वारा धा

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,  
नया रायपुर (छ.ग.)

-: अधिसूचना :-

रायपुर, दिनांक 11 / 4 / 2018

क्रमांक 1545 / 315 / आउशि / समन्वय / 2018:: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14-11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03.10.2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत प्राणीशास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर</li> <li>2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग</li> <li>3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र विलासपुर विश्वविद्यालय, विलासपुर</li> <li>4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर</li> <li>5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा</li> </ol>
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर</li> <li>2. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव</li> <li>3. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विलासपुर</li> <li>4. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दत्तेवाड़ा</li> </ol>
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. डॉ. राधाचार्ड नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर</li> <li>2. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव</li> <li>3. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, दरभाली</li> <li>4. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, अम्बिकापुर</li> <li>5. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, धरामा</li> </ol>



Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



अनुसूचित  
श्रेणी के  
आयुक्त उच्च शिक्षा  
विभाग पर उपरोक्त शा.

33 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. पारमिता दूबे, सहायक प्राध्यापक, शा. जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर 2. डॉ. मधुलिका राय, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, उतई 3. डॉ. एल.पी.मिरी, सहायक प्राध्यापक शा. जे.पी.वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय विलासपुर 4. श्री अमित सिंह वनाफर, सहायक प्राध्यापक शा.महाविद्यालय सिलफिली 5. डॉ. एच.के.एस. गजेन्द्र, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, किरन्दुल
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक 11 / 11 / 2018

पृ. क्रमांक | 546/315/आउशि/समन्वय/2018  
प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. कुलसचिव, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
4. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग।
5. कुलसचिव, विलासपुर विश्वविद्यालय, विलासपुर।
6. कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
7. कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा।
8. समस्त संबंधित विश्वविद्यालय।
9. समस्त संबंधित प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय।
10. समस्त संबंधित अधिकारीगण।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

**SESSION**

**2017-18**

प्रमाणित है कि  
नगर उसके द्वारा और  
नगर पर उसके द्वारा शा.

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,  
नया रायपुर (छ.ग.)

-: अधिसूचना :-

रायपुर, दिनांक 11 / 4 / 2018

क्रमांक 1545 / 315 / आउशि / समन्वय / 2018:: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 14-11/2010/रास/यू. रायपुर, दिनांक 03.10.2017 के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत प्राणीशास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर</li> <li>2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग</li> <li>3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र विलासपुर विश्वविद्यालय, विलासपुर</li> <li>4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर</li> <li>5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा</li> </ol>
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर</li> <li>2. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव</li> <li>3. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विलासपुर</li> <li>4. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर</li> <li>विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा</li> </ol>
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर</li> <li>2. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव</li> <li>3. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, यरपाली</li> <li>4. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, अम्बिकापुर</li> <li>5. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, धारामा</li> </ol>





अशिक्षित व  
गरीब वर्ग के लिये  
शिक्षण पर उचित ध्यान  
देना

34 (ए)(3)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. पारमिता दूबे, सहायक प्राध्यापक, शा. जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर 2. डॉ. मधुलिका राय, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, उतई 3. डॉ.एल.पी.मिरी, सहायक प्राध्यापक शा. जे.पी.वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर 4. श्री अमित सिंह वनाफर, सहायक प्राध्यापक शा.महाविद्यालय सिलफिली 5. डॉ.एच.के.एस. गजेन्द्र, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, किरन्दुल
34 (ए)(3)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

(डॉ.किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)  
नया रायपुर, दिनांक 11/11/2018

पृ.क्रमांक | 546/315/आउशि/समन्वय/2018  
प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. कुलसचिव, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
4. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग।
5. कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर।
6. कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
7. कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा।
8. समस्त संबंधित विश्वविद्यालय।
9. समस्त संबंधित प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय।
10. समस्त संबंधित अधिकारीगण।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(डॉ.किरण गजपाल)  
संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

**SESSION**

**2016-17**



# सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

E-Mail:- registrarsua@yahoo.in

Phone:- 07774-2227790, Fax:- 2227791

सं.सं.क 2792/अकादमिक/अध्ययन मण्डल/2016

अम्बिकापुर, दिनांक 27/09/2016

## अधिसूचना

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर में जीवन विज्ञान संकायांतर्गत वनस्पतिशास्त्र विषय के विद्ये अध्यापन केंद्रों का गठन (संवीक्षाधीन) निम्नानुसार किया जाता है:

28.(2)(एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केंद्रों के अर्थों में कोई नहीं

(दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे

(1) श्रीमती जीरेन ज्योति गुप्ता  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग  
शासकीय राजगोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(2) श्री शिवाकान्त मिश्र आजाद  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग  
शासकीय लाहिडी महाविद्यालय, चिरगिरी  
जिला-बोरिया (छ.ग.)

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केंद्रों में से एक उपानाथ कोई नहीं

(चार) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे :

(1) श्रीमती अन्नगोरी खलखो  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग  
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय,  
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(2) कुमारी शालिनी शांता कुजूर  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग  
शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली  
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)





(पांच) अन्त आ द्वारा अधिक से अधिक दो अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नामांकित किये जायेंगे :

- (1) डॉ. रिजवान उल्ला  
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कृषि विभाग  
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
- (2) डॉ. भंतोष कुमार सिन्हा  
प्राचार्य  
के. आर. टेक्निकल कालेज, अम्बिकापुर  
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(छ:) कुलपति जी द्वारा नियुक्त एक विद्यार्थी :  
नियुक्ति बाद में की जायेगी।

(सात) अध्ययन बोर्ड द्वारा सहयोजित दो सदस्य :  
सहयोजन बाद में किया जावेगा।

2016-17 अन्त आ द्वारा श्रीमती जीरेन ज्योति गुप्ता, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष  
कृषि विभाग, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर,  
जिला - सरगुजा (छ.ग.) को उप धारा (2) के खण्ड (दो) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष  
नाम निर्देशित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28 (4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यावधि इस अधिसूचना  
प्रकाशन दिनांक से तीन वर्ष की होगी।

(विनोद कुमार एन्का)  
कुलसचिव

प्रकाशन दिनांक 22/9/2016 अकादमिक/अध्ययन मण्डल/2016 अम्बिकापुर, दिनांक 23/9/2016

प्रतिलिपि कुलपति एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को ओर अग्रेषित -

- (1) कुलपति जी, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनाार्थ  
पत्र।
- (2) सहायक कुलपति, विज्ञान संकाय।
- (3) संबंधित सदस्यगण।
- (4) प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- (5) सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी परीक्षा/गोपनीय/वित्त विभाग, सरगुजा  
विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)।
- (6) कार्य समाप्त नरती।

(डी. पी. एस. तिवारी)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अकादमिक)







# सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

[छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित]  
E-Mail:- registrarsua@yahoo.in Phone:- 07774-2227700, Fax:- 2227791

क्रमांक २११४/अध्यापक/अध्ययन मण्डल/2016

अम्बिकापुर, दिनांक 23/09/2016

## अधिसूचना

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 2B के अन्तर्गत सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर में जीवन विज्ञान संकायांतर्गत प्राणिशास्त्र विषय के लिये अध्ययन बोर्ड का गठन (समीक्षाधीन) निम्नानुसार किया जाता है:

28.(2)(एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के आचार्य कोई नहीं

(दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे:

(1) श्रीमती जेसमिना तिकी  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग  
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(2) श्रीमती ज्योति तिकी  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग  
शासकीय राम भजन राय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
जशपुर नगर जिला-जशपुर (छ.ग.)

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य कोई नहीं

(चार) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे

(1) श्री अमित सिंह बनाफर  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग  
शासकीय महाविद्यालय,  
सिलाफेली जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

(2) कुमारी दीपिका मिज  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग  
शासकीय सत रामेश्वर महिरा गुरु जी महाविद्यालय, बगीचा  
जिला-जशपुर (छ.ग.)





(पांच) उक्त विषयो के अधिक से अधिक दो अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे :

- (1) डॉ. अजीत कुमार हुण्डेत  
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग  
शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
सीतापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
- (2) डॉ. अतुल कुमार तिवारी  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग  
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय,  
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(छ:) कुलपति जी द्वारा नियुक्त एक विद्यार्थी :  
नियुक्ति बाद में की जावेगी।

(सात) अध्ययन बोर्ड द्वारा सहयोजित दो सदस्य :  
सहयोजन बाद में किया जावेगा।

28.(3) कुलपति जी द्वारा श्रीमती जेरमिना तिकी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जिला - सरगुजा (छ.ग.) को उप धारा (2) के खण्ड (दो) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28 (4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी।

(बिनोद कुमार एक्का)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक:2997/अकादमिक/अध्ययन मण्डल/2016 अम्बिकापुर, दिनांक 23/9/2016  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित की ओर अग्रेषित -

- (1) माननीय कुलपति जी, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- (3) संबंधित सदस्यगण।
- (4) प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- (5) सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी परीक्षा/गोपनीय/वित्त विभाग, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)।
- (6) कार्यालयीन नस्ती।

(डी. पी. एस. तिवारी)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अकादमिक)